GREEN LIFE LAB, & DIAGNOSTIC CENTER

New Transport Nager, Todi, Sikar Road, Jaipur (302013), 9256890104

(Green Life Institute of Education and Research)

Legal Identity Details

Non conformity:

lab to submit Registration certificate under Societies Registration Act, 1860 as per NABL128 2. Lab to submit relationship document between GREEN LIFE LAB & DIAGNOSTIC CENTER and GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH 3. Lab to also submit address proof

Sr. No.	Corrective Action	Objective Evidence
01	Lab updated the Registration Certificate of Society	Copy of registration full set
02	Declaration regarding relationship between Green Life Lab and Diagnostic Center	Deceleration with relation proof Legal evidence: • Udyam Registration Certificate • Rajasthan Pollution Control Board-Authorization for Operating A Facility For Collection Generation Reception Storage Of Bio Medical Waste
03	Address proof of laboratory	Udyam Registration Certificate

Greenlife Institute of Education & Research

Secretary

Green Life Lab and Diagnostic Center

Center Head

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 981 जयपुर/2014-15

यह प्रमाणित किया जाता है कि Greenlife institute of education and research जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 10 माह March सन् दो हजार fifteen को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
(आर. एस. चौहान)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ (जयपुर)

रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 981/JAIPUR/2014-2015 दिनांक / DATE- 17-04-2023

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH जिला **जयपुर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Ashok Kumar Owla	MALE	MEMBER		01/01/1994
2		Hemant Kumar	MALE	TREASURER		19/07/1970
3		Kamal Dogiwal	MALE	MEMBER		15/05/1996
4		Kanchan Devi	FEMALE	MEMBER		01/01/1965
5		Kanhaiya Lal Kumawat	MALE	SECRETARY		03/04/1970

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:43:02 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Manju Kumari	FEMALE	MEMBER		11/11/1996
7		Pushkar Sain	MALE	MEMBER		08/02/2003
8		Rajkumar Jat	MALE	MEMBER		01/07/1991
9		Sonu Marwal	FEMALE	MEMBER		04/03/1989
10		Suneeta	FEMALE	MEMBER		15/07/1973
11		Suresh Kumar Ola	MALE	PRESIDENT/CHAIRMAN		04/05/1992

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:43:02 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

रजि नं –981/JAIPUR/2014-2015

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

पता– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, खिरनी फाटक बाईपास, झोटवाडा, जयपुर

क्रमांक   दिनांक–20.02.2023

दिनांक 20.02.2023 को विधान में किये गये संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा	पंजीकृत विधान के अनुसार वर्तमान नियम	विधान में संशोधन किया गया नया नियम
धारा	**ग्रीन लाईफ इस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च विधान**	**ग्रीन लाईफ इस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च विधान**
	1. **संस्था का नाम** :– इस संस्था का नाम ग्रीन लाईफ **इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च** है व रहेगा।	1. **संस्था का नाम** :– इस संस्था का नाम ग्रीन लाईफ **इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च** है व रहेगा।
	2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय** :–इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय– खसरा नंबर 115/2, ग्राम जोरपुरा सुन्दरियावास, फुलेरा, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा।	2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय** –इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, खिरनी फाटक बाईपास, झोटवाडा, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा।
	3. **संस्था के उद्देश्य**:– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है–	3. **संस्था के उद्देश्य**– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है–
	1. बालक–बालिकाओं के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक मूल्यो पर शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण की चेतना जागृत करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे भविष्य मे सुसंस्कृत सुयोग्य बन सके। 2. यह संस्थान लाभ निरपेक्ष संस्था है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग और लिंग भेदहीन, माननीय लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा शोषण रहित समतावादी समाज की स्थापना। 3. शिक्षा का प्रचार–प्रसार एंव शिक्षा को रोजगारन्मुखी बनाना संस्थान का मूलभूत उदेश्य रहेगा। 4. भारत सरकार, राज्य सरकार से संबधित शिक्षा विभाग एवं संबधित विश्वविद्यालय, मानीत विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप बालक बालिकाओं को मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, इंजिनियरिंग मेडिकल, आयुर्वेद, भौगोलिक, प्रायोगिकी, कृषि विधि तथा प्रबंधीय कोर्सेज की स्थापना करना एवं संचालन करना। 5. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए विज्ञान, कला, फाईन आर्टस एवं वाणिज्य इत्यादि के लिए योजना एवं सक्रिय बनाना तथा संचालन करना। 6. ग्रामीण/शहरी संस्थान विशेषकर गरीब, विकलांग, मूक बधिर, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा	1. बालक–बालिकाओं के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक मूल्यों पर शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण की चेतना जागृत करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे भविष्य में सुसंस्कृत सुयोग्य बन सके। 2. यह संस्थान लाभ निरपेक्ष संस्था है। जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग और लिंग भेदहीन, माननीय लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा शोषण रहित समतावादी समाज की स्थापना। 3. शिक्षा का प्रचार–प्रसार एंव शिक्षा को रोजगारन्मुखी बनाना संस्थान का मूलभूत उदेश्य रहेगा। 4. भारत सरकार, राज्य सरकार से सबंधित शिक्षा विभाग एवं संबधित विश्वविद्यालय, मानीत विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप बालक बालिकाओ को मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, इंजिनियरिंग मेडिकल, आयुर्वेद, भौगोलिक, प्रायोगिकी, कृषि विधि तथा प्रबंधीय कोर्सेज की स्थापना करना एवं संचालन करना। 5. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए विज्ञान, कला, फाईन आर्टस एवं वाणिज्य इत्यादि के लिए योजना एवं सक्रिय बनाना तथा सचालन करना। 6. ग्रामीण/शहरी संस्थान विशेषकर गरीब, विकलाग, मूक बधिर, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग,

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

रजि नं -981/JAIPUR/2014-2015

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

पता– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, खिरनी फाटक गाईपारा, झोटवाड़ा, जयपुर

	वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक अवश्य विधवा तथा उक्त की महिलाओ एव बच्चों के लिए शिक्षा एंव रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना तथा उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाना एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। 7. भारत या राज्य सरकार के शिक्षा कार्यक्रमानुसार निर्धारित पाठ्य क्रमानुसार बालक–बालिकाओं को कुशल नेतृत्व क्षमता, दृढ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, स्वानुशासन की प्रकृति व कलात्मकता का विकास कर परिपक्व व श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास करना। 8. नारी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा का विकास कर हर नागरिक को शिक्षित करना। कमजोर एवं अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करना। देश की प्राचीन एवं नवीन सांस्कृतिक पारंपरिक सिद्धान्तों का ज्ञान देते हुए बालक–बालिकाओं को प्रशिक्षित करना। 9. विद्यार्थियो को अनेक मौलिक अधिकारों से कर्तव्य के प्रति सचेत करते हुए एवं समभाव की भावना का विकास करना। 10. संपन्न शिक्षा एवं राष्ट्र से जुडी समस्याओं पर सेमिनार/गोष्ठियों का आयोजन करना। 11. सामाजिक कुरीतियां जैसे छुआछुत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि कुप्रथाओं के निवारण का कार्य करना। 12. विश्व शाति पर्यावरण संरक्षण, भूमि विकास जल संस्थान गैर परम्परागत ऊर्जा से संरक्षण से विकास तथा कृषि विकास का कार्य करना। 13. प्रौढ अनोपचारिक शिक्षा एवं प्रायोगिक से उच्च शिक्षा/तकनीक, औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों, खेलकूद संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य/केन्द्र। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा। 4. सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो। 2. बालिग हो।	अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक अवश्य विधवा तथा उक्त की महिलाओ एव बच्चों के लिए शिक्षा एव रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना तथा उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाना एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। 7. भारत या राज्य सरकार के शिक्षा कार्यक्रमानुसार निर्धारित पाठ्य क्रमानुसार बालक–बालिकाओं को कुशल नेतृत्व क्षमता, दृढ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, स्वानुशासन की प्रकृति व कलात्मकता का विकास कर परिपक्व व श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास करना। 8. नारी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा का विकास कर हर नागरिक को शिक्षित करना। कमजोर एवं अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए शिक्षा प्रदान करना। देश की प्राचीन एवं नवीन सांस्कृतिक पारंपरिक सिद्धान्तों का ज्ञान देते हुए बालक–बालिकाओ को प्रशिक्षित करना। 9. विद्यार्थियों को अनेक मौलिक अधिकारो से कर्तव्य के प्रति सचेत करते हुए एवं समभाव की भावना का विकास करना। 10. संपन्न शिक्षा एवं राष्ट्र से जुडी समस्याओ पर सेमिनार/गोष्ठियों का आयोजन करना। 11. सामाजिक कुरीतियां जैसे छुआछुत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि कुप्रथाओं के निवारण का कार्य करना। 12. विश्व शांति पर्यावरण संरक्षण, भूमि विकास जल संस्थान गैर परम्परागत ऊर्जा से संरक्षण से विकास तथा कृषि विकास का कार्य करना। 13. प्रौढ अनोपचारिक शिक्षा एवं प्रायोगिक से उच्च शिक्षा/तकनीक, औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी पाठ्यकमों, खेलकूद संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य/केन्द्र। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नहीं होगा। 4. सदस्यता – निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र मे निवास करते हो। 2. बालिग हो।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

रजि नं -981/JAIPUR/2014-2015

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

पता– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, खिरनी फाटक वाईपारा, झोटवाडा, जयपुर

	3 पागल व दीवालिया न हो।	3. पागल व दीवालिया न हो।
	4. संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रूचि रखते हो।	4. संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रूचि रखते हो।
	5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।	5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
	5. **सदस्यों का वर्गीकरण** :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे–	5. **सदस्यों का वर्गीकरण** :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे–
	1 संरक्षक 2 विशिष्ठ 3 सम्माननीय 4 साधारण	1 संरक्षक 2 विशिष्ठ 3 सम्माननीय 4 साधारण
	6. **सदस्यो द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा** :– उपनियम संख्या 4 मे अंकित सदस्यो द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा–	6. **सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क** :– उपनियम सख्या 4 मे अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा–
	1. संरक्षक राशि 5100/रुपये वार्षिक/आजन्म	1. संरक्षक राशि 5100/रुपये वार्षिक/आजन्म
	2. विशिष्ठ राशि 3100/रुपये वार्षिक/आजन्म	2. विशिष्ठ राशि 3100/रुपये वार्षिक/आजन्म
	3. सम्माननीय राशि 2100/रुपये वार्षिक	3. सम्माननीय राशि 2100/रुपये वार्षिक
	4. साधारण राशि 1100/रुपये वार्षिक	4. साधारण राशि 1100/रुपये वार्षिक
	उक्त राशि का एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।	उक्त राशि का एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।
	7. **सदस्यता से निष्कासन** :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–	7. **सदस्यता से निष्कासन** :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–
	1. मृत्यु होने पर।	1. मृत्यु होने पर।
	2. त्याग पत्र देने पर।	2. त्याग पत्र देने पर।
	3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।	3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
	4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।	4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
	उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अतिम होगा।	उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।
	8. संस्था के उपनियम स. 5 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	8. संस्था के उपनियम सं. 5 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
	9. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** – साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे–	9. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** – साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे–

अध्यक्ष सचिव हेमन्त कुमार कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

	1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।	1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
	2. वार्षिक बजट पारित करना।	2. वार्षिक बजट पारित करना।
	3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।	3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना।
	4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।	4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
	(जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा।)	(जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा।)
	10. साधारण सभा की बैठकें :–	10. साधारण सभा की बैठकें :–
	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
	2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 (एक तिहाई) होगा।	2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 (एक तिहाई) होगा।
	3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।	3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
	4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।	4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।
	5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि मे अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होंगे।	5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्वमान्य होंगे।
	11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे	11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे

अध्यक्ष — कन्हैया लाल सचिव — हेमन्त कुमार कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

रजि.नं.–981/JAIPUR/2014-2015

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

पता– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, खिरनी फाटक बाईपास, झोटवाडा, जयपुर

	1. अध्यक्ष एक 2. मंत्री एक 3. कोषाध्यक्ष एक 4. उपाध्यक्ष एक 5. सदस्य सत्रह। इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 04 पदाधिकारी व 17 सदस्य कुल 21 सदस्य होंगे। 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :– 1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 02 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुवित प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की संपति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुवित करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुवत करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना। 6. कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। 14. कार्यकारिणी की बैठके :– 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।	1. अध्यक्ष एक 2. मंत्री एक 3. कोषाध्यक्ष एक 4. सदस्य आठ इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 03 पदाधिकारी व 08 सदस्य कुल 11 सदस्य होंगे। 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :– 1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 02 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की संपति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना। 6. कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। 14. कार्यकारिणी की बैठके :– 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगें। जो पूर्ण एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

1 अध्यक्ष :–

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3 मंत्री:–

1. बैठकें आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना।

आधे से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगें। जो पूर्ण एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

1 अध्यक्ष :–

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3 मंत्री:–

1. बैठकें आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना।

अध्यक्ष　　　　सचिव　　　　कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

रजि.नं.-981/JAIPUR/2014-2015
GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH
पता– प्लॉट नंबर 66, मित्र नगर, सिरसी फाटक बाईपास, झोटवाड़ा, जयपुर

	3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।	3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
	4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।	4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
	5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।	5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
	6. पत्र व्यवहार करना।	6. पत्र व्यवहार करना।
	7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।	7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।
	4 उपमंत्री :– 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।	**4 उपमंत्री :–** 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
	2. अन्य कार्य जो प्रवंधकारिणी अथवा मंत्री द्वारा सौंपे जावें।	2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी अथवा मंत्री द्वारा सौंपे जावें।
	5 कोषाध्यक्ष :– 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।	**5 कोषाध्यक्ष :–** 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
	2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।	2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
	3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।	3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
	4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
	16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–	**16. संस्था का कोष** : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–
	1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान	1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान
	1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुरक्षित की जावेगी।	1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुरक्षित की जावेगी।
	2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा।	2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा।
	17. कोष संबंधित विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।	**17. कोष संबंधित विशेषाधिकार** :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

अध्यक्ष   सचिव   हेमन्त कुमार कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 12:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

1. अध्यक्ष – 2100/रुपयें। 2. मंत्री – 1100/रुपये। 3. कोषाध्यक्ष– 500/रुपयें।	1. अध्यक्ष – 2100/रुपयें। 2. मंत्री – 1100/रुपये। 3. कोषाध्यक्ष– 500/रुपयें।
उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।	उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।
18. **संस्था का अंकेक्षण** :– संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगे।	18. **संस्था का अंकेक्षण** :– संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगे।
19. **संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन** :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	19. **संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन** :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. **संस्था का विघटन** :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपति संस्था के उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	20. **संस्था का विघटन** :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपति संस्था के उद्देश्य वाली संस्था को हस्तातरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर एवं संस्था के वितिय संस्थाओं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर एवं संस्था के वितिय संस्थाओं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान ग्रीन लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च जयपुर की मूल प्रति है।	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान ग्रीन लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च जयपुर की मूल प्रति है।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.04.17 13:42:17 IST
Reason: Approved
Location:

Reg. No. - 981 Jaipur/2014-15

GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH

Add.- New Transport Nagar, Todi, Sikar Road, Jaipur (Raj.) 302013
Mob. No. 9256890104

Ref No. Date:

DECELERATION

This is to inform that Green Life Lab and diagnostic Centre
is a unit of Green Life Institute of Education and research

Objective Evidence:

- Udyam Registration Certificate
- Rajasthan Pollution Control Board- Authorization for Operating A Facility For Collection Generation Reception Storage Of Bio Medical Waste

Greenlife Institute of Education & Research
Secretary

UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-RJ-17-0063004
NAME OF ENTERPRISE	GREEN LIFE LAB, & DIAGNOSTIC CENTER (RUN BY: GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH)

TYPE OF ENTERPRISE *

SNo.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	09/05/2023
2	2022-23	Micro	26/06/2022
3	2021-22	Micro	29/04/2021

MAJOR ACTIVITY	SERVICES
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	OBC

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	GREEN LIFE LAB, & DIAGNOSTIC CENTER

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	00	Name of Premises/ Building	NEW TRANSPORT NAGAR
Village/Town	TODI	Block	AMER
Road/Street/Lane	SIKAR ROAD	City	JAIPUR
State	RAJASTHAN	District	JAIPUR , Pin 302013
Mobile	9785987415	Email:	OLASURESHKUMAR83@GMAIL.COM

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	01/04/2023
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	86 - Human health activities	8620 - Medical and dental practice activities	86201 - Medical practice activities	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION	09/04/2021

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from https://udyamregistration.gov.in & Date of printing:- 13/07/2023

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: JAIPUR URBAN (RAJASTHAN)

2. MSME-DFO: JAIPUR (RAJASTHAN)

BE A CHAMP with th Ministry MSM

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champions.g

Follow us @minmsme & @msmechampion

19-06-2023 17:18:00
27.0337059
75.766794

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

F(BMW)/JAIPUR(Jaipur)/7182(1)/2023-2024/463-464 Date: 26/05/2023

Unit Id : 126623

FORM IV

(SEE Rule 10 of BMW Rules, 2016)

(Authorization for operating a facility for Collection, Generation, Reception, Storage of Biomedical Wastes)

1. Authorization Letter No. BMW/2023-2024/Jaipur/BMW/30.
2. **KANHAYA LAL KUMAWAT, Secretary of Green Life Lab & Diagnostic Center (Run by Green Life Institute of Education & Research) is hereby granted an authorization under Rule 10 of Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 2016 (BMW Rules,2016) to operate a facility for Collection, Generation, Reception, Storage of biomedical waste on the premisses situated at Todi, Sikar Road, Jaipur, Jaipur, Tehsil Jaipur, District Jaipur.**
3. This authorization is valid till it is cancelled /revoked by the Competent Authority.
4. This authorization is valid for operation of the Hospital with 0 (zero) number of beds.
5. This authorization is subject to the conditions contained in enclosed annexure and to such other conditions/guidlines as may be specified under BMW Rules, 2016 by Central Pollution Control Board, Delhi or Ministry of Environment & Forests(MoEF), Government of India (GOI) or Department of Environment (DOE), Government of Rajasthan (GOR).
6. Segregation, packing, transportation, storage, treatment & disposal of Bio-medical waste shall be in accordance with Rule 7 & 8 of BMW Rules, 2016. The bio medical waste shall be disposed, of at Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility (CBMWTDF) established for the area viz .
7. The mercury bearing waste arising due to breakage of thermometers,pressure gauges and other instruments is not to be treated as bio-medical waste or other solid waste.The mercury bearing waste is to be segregated, collected , stored and disposed in accordance with the provisions of Hazardous Waste and other wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
8. The Annual report in accordance with Rule 13 for the period 1st January to 31st December of previous year shall be submitted On or before 30th June of every year in form - IV as prescribed in the Rules and the annual report shall also be made available on the web-site of the occupier. Further, all the health care facilities shall develop their website within two years from the date of notification of the BMW Rules,2016, in case not already developed.

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
MSME
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-RJ-17-0063004
NAME OF ENTERPRISE	GREEN LIFE LAB, & DIAGNOSTIC CENTER (RUN BY: GREEN LIFE INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH)

TYPE OF ENTERPRISE *

SNo.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	09/05/2023
2	2022-23	Micro	26/06/2022
3	2021-22	Micro	29/04/2021

MAJOR ACTIVITY	SERVICES
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	OBC

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	GREEN LIFE LAB, & DIAGNOSTIC CENTER

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	00	Name of Premises/ Building	NEW TRANSPORT NAGAR
Village/Town	TODI	Block	AMER
Road/Street/Lane	SIKAR ROAD	City	JAIPUR
State	RAJASTHAN	District	JAIPUR , Pin 302013
Mobile	9785987415	Email:	OLASURESHKUMAR83@GMAIL.COM

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	01/04/2023
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	86 - Human health activities	8620 - Medical and dental practice activities	86201 - Medical practice activities	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION	09/04/2021

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from https://udyamregistration.gov.in & Date of printing:- 13/07/2023

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: JAIPUR URBAN (RAJASTHAN)

2. MSME-DFO: JAIPUR (RAJASTHAN)

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champions.g
Follow us @minmsme & @msmechampion
BE A CHAMP with th Ministry MSM